



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-15112025-267699
CG-TL-E-15112025-267699

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5022]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 14, 2025/कार्तिक 23, 1947

No. 5022]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 14, 2025/KARTIKA 23, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 12 नवम्बर, 2025

का.आ. 5192(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न अनुसूची में दिया गया है, आंध्र प्रदेश राज्य के एनटीआर ज़िला में विजयवाड़ा ग्रामीण मंडल के रायनपाडु गांव में लेवल क्रॉसिंग (एलसी) संख्या 148 के स्थान पर सड़क ओवरब्रिज के निर्माण के लिए आवश्यक है (एकड़ 8.216) इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में रुचि रखता है, वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, उक्त भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर धारा 20D की उप-धारा (1) के तहत आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, विजयवाड़ा, एनटीआर जिला को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधार बताए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी तथा राजस्व मंडल अधिकारी, विजयवाड़ा, एनटीआर जिला, आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर देंगे, या तो व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद, और ऐसी आगे की जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

धारा 20(D) की उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत भूमि की योजनाएँ और अन्य विवरण इच्छुक व्यक्तियों द्वारा उक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में देखे जा सकते हैं।

अनुसूची

अधिग्रहण में भूमि का विवरण: आंध्र प्रदेश राज्य के एनटीआर ज़िला में विजयवाड़ा ग्रामीण मंडल के रायनपाडु गांव में लेवल क्रॉसिंग (एलसी) संख्या 148 (किमी.575/9-11) के स्थान पर सड़क ओवरब्रिज का निर्माण हेतु।

गाँव का नाम : रायनपाडु: विजयवाड़ा ग्रामीण मंडल: एनटीआर ज़िला								
क्रमसं	मंडल का नाम	गाँव का नाम	LPM संख्या	सर्वेनं.	क्षेत्रफल (एकड़में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयरमें)	भूमि प्रकार (जीडी/जीपी)	भूमिकीप्रकृति (सींचित/सूखी)
1	2	3		5	6	7	8	9
1	विजयवाड़ा ग्रामीण	रायनपाडु	56	124-2	0.026	0.0105	जी पी	कालुवा
2			57	124-1	0.358	0.1449	जी डब्ल्यू	पट्टा
3			58	124-1	0.008	0.0032	जी डब्ल्यू	पट्टा
4			60	125-2	0.032	0.0129	जी पी	कालुवा
5			61	125-1	0.48	0.1942	जी डब्ल्यू	पट्टा
6			64	125-1	0.144	0.0583	जी डब्ल्यू	पट्टा
7			834	113-3,4,5	0.738	0.2987	जी डब्ल्यू	पट्टा
8			835	113-2B,3	0.257	0.104	जी डब्ल्यू	पट्टा
9			853	113-6	0.115	0.0465	जी डी	पट्टा
10			899	95-3	0.338	0.1368	जी डी	पट्टा
11			900	95-3	0.026	0.0105	जी डी	पट्टा
12			901	28	0.341	0.138	जी पी	पुंथा (RBK Building)
13			902	29-6	0.037	0.015	जी पी(डी-पट्टा)	असाइनमेंट भूमि
14			903	29-5	0.018	0.0073	जी डी	पट्टा
15			910	110-1	0.629	0.2545	जी डी	पट्टा
16			911	110-2	0.086	0.0348	जी पी	जगमंदु कालुवा
17			912	112	0.093	0.0376	जी पी	जगमंदु कालुवा
18			1120	89-1B,2,92-1,2,3,5	1.695	0.6859	जी डी	पट्टा
19			1122	94	0.585	0.2367	जी पी	रेलवे
20			1124	113-2B,3	0.147	0.0595	जी डब्ल्यू	पट्टा
21			1210	62	0.37	0.1497	जी पी	पुंथा
22			1212	89-1A	0.152	0.0615	जी पी	सड़क
23			1213	88-1A	0.187	0.0757	जी पी	सड़क
24			1214	88-1B	0.003	0.0012	जी डी	पट्टा

25			1252	63-3	0.002	0.0008	जी पी	सड़क
26			1334	149	0.337	0.1364	जी पी	तालाब
27			1354	92-1,2,3	0.536	0.2169	जी डी	पट्टा
28			1400	95-1A	0.338	0.1368	जी डी	पट्टा
29			1401	95-2B	0.115	0.0465	जी डी	पट्टा
30			1402	24-3	0.023	0.0093	जी डी	पट्टा
GRAND TOTAL					8.216	3.3249		

[फा. सं. RSP/Gazette/20A/LC.No.148/BZA-KI/BZA]

मनोज कुमार, सीई/ आरएसपी/एससी

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 12th November, 2025

S.O. 5192(E).—in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed here to, is required for Construction of Road Over Bridge in Lieu of Level Crossing (LC) No. 148 to an extent (Acres 8.216) in Rayanapadu Village of Vijayawada Rural Mandal in NTR District in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20-D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority, namely Revenue Divisional Officer, Vijayawada, NTR District in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority Revenue Divisional Officer, Vijayawada, NTR District shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub section (2) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Description of Lands in Acquisition: Construction of Road Over Bridge In lieu of Level Crossing (LC) No. 148 at Km.575/9-11 in between Rayanapadu and Vijayawada stations.

Name of Village : Rayanapadu : Vijayawada Rural Mandal : NTR District.								
SL NO	NAME OF MANDAL	NAME OF VILLAGE	LPMNO	RS NO	PROPOSED EXTENT IN LA IN ACRES	PROPOSED EXTENT IN LA IN HECTARES	TYPE OF LAND (GD OR GP)	NATURE OF LAND
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	VIJAYAWA	RAYANAPADU	56	124-2	0.026	0.0105	GP	KALUVA
2	DA RURAL		57	124-1	0.358	0.1449	GW	PATTA

3			58	124-1	0.008	0.0032	GW	PATTA
4			60	125-2	0.032	0.0129	GP	KALUVA
5			61	125-1	0.48	0.1942	GW	PATTA
6			64	125-1	0.144	0.0583	GW	PATTA
7			834	113-3,4,5	0.738	0.2987	GW	PATTA
8			835	113-2B,3	0.257	0.104	GW	PATTA
9			853	113-6	0.115	0.0465	GD	PATTA
10			899	95-3	0.338	0.1368	GD	PATTA
11			900	95-3	0.026	0.0105	GD	PATTA
12			901	28	0.341	0.138	GP	PUNTHA(RBK BUILDING)
13			902	29-6	0.037	0.015	GP(D-PATTA)	ASSIGNMENT LAND
14			903	29-5	0.018	0.0073	GD	PATTA
15			910	110-1	0.629	0.2545	GD	PATTA
16			911	110-2	0.086	0.0348	GP	JAGAMANDRU KALUVA
17			912	112	0.093	0.0376	GP	JAGAMANDRU KALUVA
18			1120	89-1B,2,92-1,2,3,5	1.695	0.6859	GD	PATTA
19			1122	94	0.585	0.2367	GP	RAILWAYS
20			1124	113-2B,3	0.147	0.0595	GW	PATTA
21			1210	62	0.37	0.1497	GP	PUNTHA
22			1212	89-1A	0.152	0.0615	GP	ROAD
23			1213	88-1A	0.187	0.0757	GP	ROAD
24			1214	88-1B	0.003	0.0012	GD	PATTA
25			1252	63-3	0.002	0.0008	GP	ROAD
26			1334	149	0.337	0.1364	GP	CHERUVU
27			1354	92-1,2,3	0.536	0.2169	GD	PATTA
28			1400	95-1A	0.338	0.1368	GD	PATTA
29			1401	95-2B	0.115	0.0465	GD	PATTA
30			1402	24-3	0.023	0.0093	GD	PATTA
GRAND TOTAL					8.216	3.3249		

[F. No. RSP/Gazette/20A/LC.No.148/BZA-KI/BZA]

MANOJ KUMAR, CE/C/RSP